



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 794]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1070(अ).--केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 10, 12 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) “समुचित प्राधिकारी” से केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन तार अवसंरचना जिन्हें स्थापित किया जाना है या जिनका रख-रखाव किया जाना है, के अधीन, के ऊपर, के साथ, के सामने उसमें या उस पर संपत्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित ऐसे प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है ;

(ग) “राज्य सरकार” से अधिकारिता रखने वाली राज्य सरकार और जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है, अभिप्रेत है ;

- (घ) “अनुज्ञप्तिधारी” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला अभिप्रेत है ;
- (ङ) “भूमि के ऊपर तार अवसंरचना” से भूमि के ऊपर स्थापित तार या तार लाईन अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत तार या तार लाईन के स्थापन या रख-रखाव के प्रयोजन के लिए चौकियां या भूमि के ऊपर अन्य प्रयुक्तियां, साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है ;
- (च) “नियम” से भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 अभिप्रेत है ;
- (छ) “भूमिगत तार अवसंरचना” से भूमि के भीतर बिछी हुई तार लाईन अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत तार लाइन के स्थापन या रख-रखाव के प्रयोजन के लिए मेन-होल, मार्कर-पत्थर, साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है ;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. लागू होना – समुचित प्राधिकारी इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किसी अनुज्ञप्तिधारी जिसे अधिनियम की धारा 19ख के अधीन अधिसूचना द्वारा तार प्राधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं, द्वारा भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव के लिए आवेदन पर इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

4. स्थानीय प्राधिकारी, आदि द्वारा नोडल अधिकारी पदाभिहित किया जाना –

- (1) प्रत्येक समुचित प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा ।
 - (2) समुचित प्राधिकारी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक इलैक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया विकसित करेंगे ।
- परंतु यह कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार इसके नियंत्रणाधीन सभी समुचित प्राधिकारियों के लिए एक एकल इलैक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकेगी ।

अध्याय – 2

भूमिगत तार अवसंरचना का स्थापन और रख-रखाव

5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन.- (1) अनुज्ञप्तिधारी, किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन तार अवसंरचना के स्थापन के प्रयोजन के लिए, उस समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, वाले ऐसे प्ररूप और रीति में उस प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों द्वारा समर्थित आवेदन कर सकेगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले समर्थक दस्तावेजों के साथ सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति ;
- (ii) बिछाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के व्यौरे ;
- (iii) कार्य के निष्पादन के लिए ढंग और समय अवधि ;
- (iv) उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी दिन की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है दिन का वह समय जब ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित है ;
- (v) व्ययों के व्यौरे जिसे ऐसा समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा ;
- (vi) असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और ऐसी सुविधा को कम करने के लिए उठाए जाने के लिए प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय ;

- (vii) कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय ;
- (viii) कोई अन्य सुसंगत मामला जो अनुज्ञप्तिधारी की राय में किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य से सहबद्ध या सुसंगत हो ;
- (ix) केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए कार्य में सहबद्ध या संबंधित कोई अन्य मामला ;

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन करते समय, कि क्या वह नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के युक्तियुक्त और प्रजायुक्त विस्तार तक प्रत्यास्थापन के लिए दायित्व के निर्वहन का जिम्मा लेता है, पर विनिर्दिष्ट अभिबंधन देगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

6. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा का प्रदान किया जाना :-

(1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात् :-

- (क) प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के लिए योजनाबद्ध मार्ग और किसी अन्य लोक अवसंरचना जो प्रस्तावित मार्ग के साथ बिछाई जानी है, के साथ ऐसी तार अवसंरचना के या तो स्थापन या रख-रखाव में संभाव्य बाधा ;
- (ख) निष्पादन की रीति ;
- (ग) कार्य के निष्पादन की समयावधि और दिन का वह समय जब प्रस्तावित कार्य निष्पादित किया जाना है ;
- (घ) व्ययों जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, का प्राक्कलन ;
- (ङ) कोई नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन का दायित्व ;
- (च) लोक सुरक्षा और असुविधा जो प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप लोक को कारित होना संभाव्य, को सुनिश्चित करने हेतु उपायों और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा में कमी करने हेतु उपायों का निर्धारण ;
- (छ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन या रखरखाव से सहबद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला ;

(2) समुचित प्राधिकारी नियम 5 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से साठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा -

- (क) ऐसी शर्तों पर जिसके अंतर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इस नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा ; या

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, आवेदन अस्वीकार करना :

परंतु यह कि कोई आवेदन, आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अस्वीकारी के कारणों पर सुनवाई की अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी यदि समुचित प्राधिकारी या तो (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने में असफल हो जाता है या (ख) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर देता है ; और इसे अनुज्ञा प्रदान किया जाना समझे जाने के पांच कार्य दिवसों से अनधिक आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा ।

(3) जहां समुचित प्राधिकारी, नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा समुचित प्राधिकारी आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए वचनबंध को स्वीकार करता है, समुचित प्राधिकारी उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करते समय दायित्व के निर्वहन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी नुकसानी के प्रत्यावर्तन के लिए व्ययों के स्थान पर रकम के लिए बैंक प्रत्याभूति चाह सकेगा ।

(4) समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन के लिए कोई फीस जो नियम (5) के उप नियम (3) और उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन विहित से भिन्न है, प्रभारित नहीं करेंगे ।

7. कार्य का जिम्मा लेने में अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता.-

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर और भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य प्रारंभ करने से पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित व्ययों का संदाय या बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा

परंतु यह कि समुचित प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार ऐसा विस्तार चाहने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर व्ययों के संदाय और बैंक प्रत्याभूति के प्रस्तुत करने की उक्त अवधि का विस्तार कर सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और कार्य के निष्पादन के दौरान पूरे समय, लोक असुविधा कम करने के और लोक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय क्रियान्वित किए जाए और

(ख) भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा के प्रदान करने में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया गया है ;

(3) अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अवस्थिति पर वास्तविक समय सूचना प्राप्त करने के लिए समुचित प्राधिकारी को समर्थ बनाने हेतु सभी भूमिगत तार अवसंरचनाओं की समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से, स्थितीय आसूचना के उपबंध सुनिश्चित करेगा ।

8. कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए समुचित प्राधिकारी की शक्ति -

(1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाता है, कार्य के निष्पादन का पर्यवेक्षण कर सकेगा ;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्त जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रत्याभूति को पूर्णतः या भागतः समपहृत कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा ।

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ।

अध्याय – 3**भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन**

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन – (1) अनुज्ञप्तिधारी, किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेजों से समर्थित आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से जो समुचित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए, उस समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन में समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रदान की जाने वाली सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति ;
- (ii) चौकी या उपरोक्त वृत्ताकार प्रयुक्ति जिसका स्थापन किया जाना प्रस्तावित है, की प्रकृति और अवस्थिति, जिसके अंतर्गत सटीक अक्षांश और देशांतर रेखांश भी है ;
- (iii) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार ;
- (iv) भवन या संरचना के व्यौरे, जहां भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन किया जाना प्रस्तावित है ;
- (v) रेडियों तरंगों या हर्ट्जियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति ;
- (vi) कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि;
- (vii) असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और विनिर्दिष्ट उपाय जो ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित है;
- (viii) कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय;
- (ix) चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की तकनीकी परिकल्पना और रेखाचित्र के व्यौरे;
- (x) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र;
- (xi) भवन की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा प्रमाणपत्र, जहां चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियां भवन पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है;
- (xii) किए गए आवेदन की बाबत पत्र व्यवहार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के नाम और संपर्क व्यौरे ;
- (xiii) जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य से सहबद्ध या के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी की राय में कोई अन्य सुसंगत मामला;
- (xiv) केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से कार्य जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, से सहबद्ध या से सुसंगत कोई अन्य मामले ;

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए एक बारगी फीस एक हजार रूपयों से अधिक नहीं होगी।

10. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान किया जाना – (1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात् :-

- (क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार ;
- (ख) प्रस्तावित अवस्थिति ;

- (ग) रेडियों तरंगों या हर्ट्जियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति ;
- (घ) कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि ;
- (ङ) व्ययों का प्राक्कलन जिसे ऐसा समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा ;
- (च) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन या रख-रखाव के परिणामस्वरूप लोक को कारित संभाव्य असुविधा का निर्धारण और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा को कम करने के उपाय ;
- (छ) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र ;
- (ज) भवन जिस पर चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर का प्रमाणपत्र ;
- (झ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना बिछाने, के स्थापन या रखरखाव से सहबद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला ;
- (2) जहां भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन, स्थावर संपत्ति जिस पर ऐसी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन किया गया है, समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित है, जिसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना असंभाव्य है, समुचित प्राधिकारी ऐसी दरों पर जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निर्धारित स्थावर संपत्ति के मूल्य के लिए प्रतिकर का, या तो एक बार या वार्षिक रूप से, हकदार होगा ।
- (3) समुचित प्राधिकारी नियम 9 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से साठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा –

(क) ऐसी शर्तों पर जिसके अंतर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इस नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा ; या

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, आवेदन अस्वीकार करना :

परंतु यह कि कोई आवेदन, आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अस्वीकारी के कारणों पर सुनवाई की अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी यदि समुचित प्राधिकारी या तो (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने में असफल हो जाता है या (ख) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर देता है ; और इसे अनुज्ञा प्रदान किया जाना समझे जाने के पांच कार्य दिवसों से अनधिक आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा

(4) समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन के लिए कोई फीस जो नियम (9) के उप नियम (3) और उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन विहित से भिन्न है, प्रभारित नहीं करेंगे ।

11. अनुज्ञप्तिधारी के कार्य जिम्मे लेने में बाध्यताएं – (1) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि –

- (क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव के प्रारंभ होने से पहले और पूरे समय लोक सुविधा में कमी के उपाय और लोक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत ऐसे भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा भी है, सुनिश्चित करना कार्यान्वित करे

(ख) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव का कार्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया जाए।

12. समुचित प्राधिकारी की कार्य के पर्यवेक्षण की शक्ति – (1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञासिधारी द्वारा नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाता है, भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव का पर्यवेक्षण कर सकेगा ;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्तें जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुज्ञासिधारी ने नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुज्ञासिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा।

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक अनुज्ञासिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय – 4

समुचित प्राधिकारी के भूमिगत और भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का हटाया जाना चाहने का अधिकार

13. समुचित प्राधिकारी का हटाया जाना चाहने, इत्यादि का अधिकार – (1) जहां समुचित प्राधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उस समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या उसके अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन, उस पर, उसके साथ, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर किसी भूमिगत या भूमि के ऊपर स्थापन से उत्पन्न हुई है, यह विचार करता है कि ऐसी तार अवसंरचना को हटाया जाना या परिवर्तित करना आवश्यक और समीचीन है वह ऐसी तार अवसंरचना का स्वामी होते हुए, अनुज्ञासिधारी को उसकी अवस्थिति हटाने या परिवर्तित करने हेतु नोटिस जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञासिधारी तत्काल और तीस दिवस की अवधि के भीतर, ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या उसके परिवर्तन के लिए विस्तृत योजना समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) समुचित प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञासिधारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत योजना की परीक्षा के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा

परंतु यह कि समुचित प्राधिकारी, ऐसी तार अवसंरचना के हटाए जाने या परिवर्तित के जाने के लिए अपेक्षित आपातक और समीचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी तार अवसंरचना को हटाने या परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञासिधारी को नब्बे दिवसों से अन्यून युक्तियुक्त समय देगा :

परंतु यह और कि उत्तरदायित्व और दायित्व जिसके अंतर्गत ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या परिवर्तित की लागत भी है अनुज्ञासिधारी द्वारा वहन की जाएगी।

अध्याय 5

विवादों का समाधान

14. अनुज्ञासिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य विवाद – (1) इन नियमों के परिणामस्वरूप अनुज्ञासिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर, उप नियम (1) के अधीन विवादों को निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, अधिकारी को ऐसी अधिकारिता के साथ जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, पदाभिहित करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवादों का अवधारण साठ दिवसों से अनधिक की अवधि में ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, करेगा।

[फा. सं. 2-6/2014-नीति- I(जिल्द-2)]

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department Of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2016

G.S.R. 1070(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to regulate underground infrastructure (optical fibre) and overground infrastructure (mobile towers), namely:-

CHAPTER I**PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (b) “appropriate authority” means the Central Government, respective State Governments, local authority or such authority, body, company or institution incorporated or established by the Central Government or the State Government, in respect of property, under, over, along, across, in or upon which underground or overground telegraph infrastructure, is to be established or maintained, vested in, or under, the control or management of such appropriate authority;
 - (c) “State Government” means the State Government having jurisdiction, and includes the administration of a Union territory;
 - (d) “licensee” means any person holding a licence issued under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (e) “overground telegraph infrastructure” means a telegraph or a telegraph line established over the ground and includes posts or other above ground contrivances, appliances and apparatus for the purpose of establishment or maintenance of the telegraph or the telegraph line;
 - (f) “rule” means the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.
 - (g) “underground telegraph infrastructure” means a telegraph line laid under the ground and includes manholes, marker stones, appliances and apparatus for the purposes of establishment or maintenance of the telegraph line.
- (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.
- 3. Applicability.**— The appropriate authority shall exercise the powers under these rules on an application for establishment and maintenance of underground or overground telegraph infrastructure by any licensee on whom the powers of the telegraph authority have been conferred by notification under section 19B of the Act, subject to any conditions and restrictions as may be imposed in such notification.
- 4. Nodal officer to be designated by local authority, etc.**—(1) Every appropriate authority shall designate a nodal officer for the purposes of these rules.
- (2) The appropriate authority shall develop an electronic application process within a period of one year from the date of coming into force of these rules for submission of applications:

Provided that the State Government may at its discretion establish a single electronic application process for all appropriate authorities under its control.

CHAPTER II**ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE**

- 5. Application by a licensee.**—(1) A licensee shall, for the purposes of establishment of telegraph infrastructure under any immovable property vested in or under the control or management of any appropriate authority, make an application, supported by such documents, to that authority in such form and manner as may be specified by that appropriate authority.
- (2) The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under sub-rule (1) shall include-

- (i) a copy of the licence granted by the Central Government;
- (ii) the details of underground telegraph infrastructure proposed to be laid;
- (iii) the mode of and the time duration for, execution of the work;
- (iv) the time of the day when the work is expected to be done in case the licensee expects the work to be done during specific time of the day;
- (v) the details of expenses that such appropriate authority will necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken by the licensee;
- (vi) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;
- (vii) the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
- (viii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and
- (ix) any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate local authority:

Provided that the licensee shall, while making the application, give a specific commitment on whether he undertakes to discharge the responsibility for restoration, to the extent reasonable and prudent, of the damage that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken.

- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that such fee to meet administrative expenses shall not exceed one thousand rupees per kilometer.

6. Grant of permission by appropriate authority.- (1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-

- (a) the route planned for the proposed underground telegraph infrastructure and the possible interference, either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure, with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route;
- (b) the mode of execution;
- (c) the time duration for execution of the work and the time of the day that the work is proposed to be executed;
- (d) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
- (e) the responsibility for restoration of any damage that the appropriate authority may necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
- (f) assessment of measures to ensure public safety and inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;
- (g) any other matter, consistent with the provisions of the Act and these rules, connected with or relative to the establishment or maintenance of underground telegraph infrastructure, through a general or special order, by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority.

- (2) The appropriate authority shall within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 5-

- (a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment of restoration charge, as may be specified, subject to the provisions of the Act and these rules; or
- (b) reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection:

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission under (a) or reject the application under (b); and the same shall be communicated in writing to the applicant not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

(3) Where the appropriate authority accepts the undertaking by the licensee to discharge the responsibility to restore the damage that such appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work, the appropriate authority, while granting permission under clause (a) of sub-rule (2), may seek a bank guarantee for an amount in lieu of expenses for restoration of such damage, as security for performance in the discharge of the responsibility.

(4) The appropriate authority shall not charge any fee other than those prescribed under sub-rule (3) of rule 5 and clause (a) of sub-rule (2) from the licensee for establishing underground telegraph infrastructure.

7. Obligations of licensee in undertaking work.—(1) The licensee shall make the payment of expenses or submit the bank guarantee as determined by the appropriate authority within a period of thirty days from the date of grant of permission and prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure:

Provided that the appropriate authority may, at its discretion, extend the said period for payment of expenses or submission of bank guarantee on an application made by the licensee seeking such extension.

(2) The licensee shall ensure that –

(a) prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure and at all times during the execution of work, the measures to mitigate public inconvenience and provide for public safety are implemented; and

(b) the work of laying underground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

(3) The licensee shall ensure provision of positional intelligence, through appropriate technology, of all underground telegraph infrastructures to enable the appropriate authority to obtain real time information on its location.

8. Powers of appropriate authority to supervise the work.—(1) The appropriate authority may supervise the execution of work to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under clause (a) of sub-rule (2) of rule 6 are observed by the licensee.

(2) The appropriate authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions as it may think fit.

(3) If the appropriate authority comes to the conclusion that the licensee has willfully violated any of the conditions for grant of permission under clause (a) of sub-rule(2) of rule 6, it may forfeit, in full or in part, the bank guarantee submitted by the licensee and withdraw the permission granted to the licensee, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the licensee has been given an opportunity of being heard.

CHAPTER III

ESTABLISHMENT OF OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

9. Application by a licensee.—(1) A licensee shall, for the purposes of establishing overground telegraph infrastructure, upon any immoveable property vested in or under the control or management of any appropriate authority, make an application, supported by such documents, to that appropriate authority in such form and manner as may be specified by that appropriate authority.

(2) The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under sub-rule(1) shall include-

(i) a copy of the licence granted by the Central Government;

(ii) the nature and location, including exact latitude and longitude, of post or other above ground contrivances proposed to be established;

(iii) the extent of land required for establishment of the overground telegraph infrastructure;

(iv) the details of the building or structure, where the establishment of the overground telegraph infrastructure, is proposed;

(v) the copy of approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for the transmission of Radio waves or Hertzian waves;

(vi) the mode of and the time duration for, execution of the work;

(vii) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

- (viii) the measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
- (ix) the detailed technical design and drawings of the post or other above ground contrivances;
- (x) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety, of the overground telegraph infrastructure;
- (xi) certification, by a structural engineer, attesting to the structural safety of the building, where the post or other above ground contrivances is proposed to be established on a building;
- (xii) the names and contact details of the employees of the licensee for the purposes of communication in regard to the application made;
- (xiii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and
- (xiv) any other matter connected with or relevant to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate local authority.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that the one-time fee, to meet administrative expenses, accompanying every application shall not exceed ten thousand rupees.

10. Grant of permission by appropriate authority.-(1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-

- (a) the extent of land required for the overground telegraph infrastructure;
- (b) the location proposed;
- (c) the approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for transmission of Radio waves or Hertzian waves;
- (d) the mode of and time duration for execution of the work;
- (e) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
- (f) assessment of the inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the establishment or maintenance of the overground telegraph infrastructure, and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;
- (g) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety of the overground telegraph infrastructure;
- (h) certification, by a structural engineer, of the structural safety of the building on which the post or other above ground contrivances is proposed to be established;
- (i) any other matter, consistent with the provision of the Act and these rules, connected with or related to the laying of overground telegraph infrastructure, through a general or special order or guidelines by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority:

(2) Where the establishment of the overground telegraph infrastructure renders the immoveable property, vested in the control or management of any appropriate authority over which such overground telegraph infrastructure is established, unlikely to be used for any other purpose, the appropriate authority shall be entitled to compensation for the value of the immoveable property, either once or annually, assessed on such rates as that appropriate authority may, by general order, specify.

(3) The appropriate authority shall, within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 9 -

- (a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety or structural safety and payment of restoration charge or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules; or
- (b) reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection:

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission under clause (a) or reject the application under clause (b) and the same shall be communicated in writing to the applicant not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

(4) The appropriate authority shall not charge any fee other than those mentioned under sub-rule (3) of rule 9 and clause (a) of sub-rule (3) from the licensee for establishing overground telegraph infrastructure.

11. Obligations of licensee in undertaking work.—(1) The licensee shall ensure that –

(a) prior to the commencement of establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure and at all times, the measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, including structural safety of such overground telegraph infrastructure are implemented;

(b) the work of establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

12. Powers of appropriate authority to supervise the work.—(1) The appropriate authority may supervise the establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under clause (a) of sub-rule (3) of rule 10 are observed by the licensee.

(2) The appropriate authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions, as it may think fit.

(3) If the appropriate authority comes to the conclusion that the licensee has willfully violated any of the conditions for grant of permission under clause (a) of sub-rule (3) of rule 10, it may withdraw, for reasons to be recorded in writing, the permission granted to the licensee:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the licensee has been given an opportunity of being heard.

CHAPTER IV

RIGHT OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SEEK REMOVAL OF UNDERGROUND OR OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

13. Right of appropriate authority to seek removal, etc.—(1) Where the appropriate authority, having regard to circumstances which have arisen since the establishment of any underground or overground telegraph infrastructure under, over, along, across, in or upon, any immoveable property vested in or under the control or management of that appropriate authority, considers that it is necessary and expedient to remove or alter such telegraph infrastructure, it shall issue a notice to the licensee, being the owner of such telegraph infrastructure, to remove or alter its location.

(2) On receipt of the notice under sub-rule (1), the licensee shall, forthwith and within a period of thirty days, proceed to submit, to the appropriate authority, a detailed plan for removal or alteration of such telegraph infrastructure.

(3) The appropriate authority shall, after examination of the detailed plan submitted by the licensee under sub-rule (2), pass such orders as it deems fit:

Provided that the appropriate authority shall, having regard to emergent and expedient circumstances requiring the removal or alteration of such telegraph infrastructure, give a reasonable time of not less than ninety days to the licensee for removal or alteration of such telegraph infrastructure:

Provided further that the responsibility and liability, including the cost thereof, for removal or alteration of such telegraph infrastructure shall be borne by the licensee.

CHAPTER V

DISPUTE RESOLUTION

14. Disputes between licensee and appropriate authority.—(1) Any dispute arising between a licensee and the appropriate authority in consequence of these rules, shall be referred to the officer designated by the Central Government.

(2) The Central Government shall, within a period of sixty days from the date of coming into force of these rules, designate, by notification, officers with such jurisdiction as may be mentioned in the notification, for the purpose to referring disputes under sub-rule (1).

(3) The officer designated by the Central Government shall determine the disputes referred to in sub-rule (1) within a period not exceeding sixty days in such manner as may be specified by the Central Government from time to time.

[F. No. 2-6/2014-Policy-I (Vol.II)]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2017/आषाढ 1, 1939

No. 515]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2017/ASHADHA 1, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सा.का.नि. 624(अ).—भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 के नियम 14 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त नियम, 2016 के नियम 14 के उपनियम (1) के अन्तर्गत विवादों का संदर्भ लेने के उद्देश्य से निम्नलिखित तालिका के कालम (2) में निर्दिष्ट संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उक्त तालिका के कालम (3) में उल्लिखित अधिकारियों को नामोद्घिष्ट करती है, नामतः—

तालिका

क्र.सं.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	नामित अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार विभाग
2	अरुणाचल प्रदेश	सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3	असम	अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
4	बिहार	प्रधान सचिव वित्त विभाग
5	छत्तीसगढ़	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

6	गुजरात	प्रधान सचिव (अपील) राजस्व विभाग
7	हरियाणा	प्रधान सचिव, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
8	हिमाचल प्रदेश	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
9	जम्मू और कश्मीर	प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण (आर एवं बी) विभाग
10	झारखंड	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
11	कर्नाटक	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग
12	केरल	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
13	महाराष्ट्र	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
14	मणिपुर	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
15	मेघालय	प्रधान सचिव योजना विभाग
16	मिजोरम	सचिव, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग
17	नागालैण्ड	आयुक्त एवं सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
18	ओडिशा	प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
19	पंजाब	सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
20	सिक्किम	प्रधान मुख्य अभियंता-सह-सचिव शहरी विकास एवं आवास विभाग
21	त्रिपुरा	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
22	उत्तर प्रदेश	विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग
23	उत्तराखंड	प्रधान सचिव अथवा सचिव लोक निर्माण विभाग
24	पश्चिम बंगाल	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	प्रधान सचिव वित्त एवं राजस्व विभाग

26	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
27	दादर और नगर हवेली	कलक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
28	दिल्ली	प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग
29	लक्षद्वीप	प्रशासक के सलाहकार
30	पुडुचेरी	सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

[फा. सं. 2-6/2014-नीति-1 वॉल्यूम-III]

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2017

G.S.R. 624(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 14 of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, the Central Government hereby designates the officers mentioned in column (3) of the Table below from the respective State Governments/Union territories specified in column (2) of the said Table for the purposes of referring disputes under sub-rule (1) of rule 14 of the aforesaid Rules, 2016 namely:—

TABLE

S. No.	Name of the State Government/ Union Territory (UT)	Designation of the Officer nominated
(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Pradesh	Principal Secretary Information Technology, Electronics and Communications Department
2.	Arunachal Pradesh	Secretary Information Technology Department
3.	Assam	Additional Chief Secretary Information Technology Department
4.	Bihar	Principal Secretary Finance Department
5.	Chattisgarh	Secretary Electronics and Information Technology Department
6.	Gujarat	Principal Secretary (Appeals) Revenue Department
7.	Haryana	Principal Secretary Electronics and Information Technology Department
8.	Himachal Pradesh	Principal Secretary Information Technology Department
9.	Jammu and Kashmir	Administrative Secretary Public Works (R and B) Department

10.	Jharkhand	Secretary Information Technology and e-Gov Department
11.	Karnataka	Additional Chief Secretary Urban Development Department
12.	Kerala	Secretary Electronics and Information Technology Department
13.	Maharashtra	Principal Secretary Information Technology Department
14.	Manipur	Commissioner Information Technology Department
15.	Meghalaya	Principal Secretary, Planning Department
16.	Mizoram	Secretary Information and Communication Technology Department
17.	Nagaland	Commissioner and Secretary Information Technology Department
18.	Odisha	Principal Secretary Revenue and Disaster Management Department
19.	Punjab	Secretary Industries and Commerce Department
20.	Sikkim	Principal Chief Engineer cum Secretary Urban Development and Housing Department
21.	Tripura	Principal Secretary Information Technology Department
22.	Uttar Pradesh	Special Secretary Information Technology and Electronics Department
23.	Uttarakhand	Principal Secretary or Secretary Public Works Department
24.	West Bengal	Principal Secretary Information Technology and Electronics Department
25.	Andaman and Nicobar Islands	Principal Secretary Finance and Revenue Department
26.	Union territories of Chandigarh	Secretary Information Technology Department
27.	Dadra and Nagar Haveli	Collector Information Technology Department
28.	Delhi	Principal Secretary Urban Development Department
29.	Lakshadweep	Advisor to Administrator
30.	Puducherry	Secretary Information Technology Department

[F. No. 2-6/2014-Policy-I (Vol. III)]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.